

नियम 86 : इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता

- (1) इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता सामान्य पोर्टल पर अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-04** में बनाया रखा जाएगा और इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का प्रत्येक दावा उक्त खाते में जमा किया जाएगा।
- (2) इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता धारा 49 ¹[या धारा 49क या धारा 49ख] के उपबंधों के अनुसार किसी दायित्व के उन्मोचन की सीमा तक विकलित किया जाएगा।
- (3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 के उपबंधों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते से किसी अनुपयोजित रकम के प्रतिदाय का दावा किया है वहां दावे की सीमा तक रकम उक्त रजिस्टर में विकलित की जाएगी।
- (4) यदि इस प्रकार फाइल किया गया प्रतिदाय, पूर्णतः या भागतः अस्वीकार कर दिया जाता है, अस्वीकृति की सीमा तक उप-नियम (3) के अधीन विकलित रकम **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03** में किए गए आदेश द्वारा समुचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पुनः जमा की जाएगी।
- ²[(4क) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी संदत्त रकम जो कि दोषपूर्ण कर संदत्त या अधिक्य में संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा किया है, जिसके लिए विकलन इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता से किया गया है, उक्त रकम, यदि ग्राह्य पायी जाती है, को **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03** में उल्लिखित आदेश द्वारा उचित अधिकारी द्वारा इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में पुनः प्रत्यय किया जाएगा।]
- ³[(4ख) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको,-
 - (क) अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन; या
 - (ख) नियम 96 के उपनियम (3) के अधीन, ⁴[.....],गलती से मंजूर की गई प्रतिदाय की रकम को, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** के माध्यम से स्वप्रेरणा से या बताए जाने पर ब्याज और शास्ति सहित, जहां कहीं लागू हो, इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते से विकलित करके जमा करता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जमा की गई, गलती से मंजूर प्रतिदाय की रकम के समतुल्य रकम, समुचित अधिकारी द्वारा **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03ए** में किए गए आदेश द्वारा इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पुनः जमा कर दी जायेगी;]
- (5) इस अध्याय के नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, किन्हीं भी परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में प्रत्यक्षतः कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी।

¹ अधिसूचना क्रमांक 3/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

² अधिसूचना क्रमांक 16/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा उपनियम (4क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2020)।

³ अधिसूचना क्रमांक 14/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा उपनियम (4ख) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)।

⁴ अधिसूचना क्रमांक 20/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा "नियम 96 के उपनियम (10) के उल्लंघन में" अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 08.10.2024)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में कोई विसंगति दिखाई पड़ने पर, उसे **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-04** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिदाय नामंजूर समझा जाएगा, यदि अपील अन्तिम रूप से नामंजूर कर दी जाती है या यदि दावाकर्ता समुचित अधिकारी को एक वचन दे देता है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा।
